कार्यालय जनपद न्यायाधीश, ललितपुर।

प्रशासनिक आदेश संख्या– 63/2020 **दिनांकः–02.07.2020**

आदेश

जिला बार एसोशियेशन, ललितपुर के पत्र दिनांकित 02.07.2020 के द्वारा यह सूचना दी गयी है कि जिला बार एसोशियेशन के सदस्य श्री निर्मल कुमार जैन जिनका रजिस्ट्रेशन संख्या–4474/2000 तथा सी.ओ.पी. संख्या 109342 है, कोरोना पॉजिटिव पाये गये है।

सी.एम.ओ. ललितपुर / जिला प्रशासन ललितपुर द्वारा अभी तक इस सम्बन्ध में कोई सूचना इस जजशिप को नही दी गयी है, जोकि अत्यन्त खेदजनक है। नोडल अधिकारी श्री निर्भय प्रकाश द्वारा सी.एम.ओ. ललितपुर एवं ए.डी.एम. ललितपुर से वार्ता कर उक्त अधिवक्ता के कोविड पोजिटिव होने की पुष्टि की गयी है।

विश्राम कक्ष में सी.एम.ओ. ललितपुर श्री प्रताप सिंह उपस्थित हैं, जिन्होने उक्त अधिवक्ता के कोविड पॉजिटिव पाये जाने की पुष्टि की है। सी.एम.ओ. ललितपुर की इस विषय पर राय ये है कि न्यायालय परिसर एवं बार परिसर का सेनेटाईजेशन कराया जाना आवश्यक है एवं इस हेतु न्यायालय एवं बार परिसर को बन्द किया जाना भी आवश्यक है। सी.एम.ओ. द्वारा इस सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट स्वंय अभी अभी अपने पत्रांक 784 दिनांक 02.07.2020 द्वारा दी गयी है।

ए.डी.एम. ललितपुर भी विश्राम कक्ष में उपस्थित है एवं उनके द्वारा भी सी.एम.ओ. के मत से सहमति जतायी गयी है एवं उनके द्वारा भी अपनी रिपोर्ट स्वंय अभी–अभी दी गयी है। उपरोक्त प्राधिकारियों से विचार विमर्श के परिप्रेक्ष्य में माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त पत्र संख्या 1117/LXXXVII–CPC/ e–Court/ Allahabad/ Dated: 03–06–2020 के द्वारा दिये गये निर्देशो में पैरा 15 के अनुसारः–

"Where the District Administration / CMO concerned is of the opinion that the District / Outlying Court Campus Should be closed for a particular period and / or the District Judge is of the opinion that the District court / Outlying Court should be closed for particular period then the District court / Outlying court may be closed for the said period and intimation mentioning the specific reasons may be sent to Allahabad High Court."

माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त दिशा निर्देश के क्रम में सी.एम.ओ./ ए.डी.एम. ललितपुर के द्वारा व्यक्त की गयी राय से सहमत होते हुये यह निर्णय लिया जाता है किः–

1. कोविड –19 की रोकथाम हेतु जजशिप ललितपुर के मुख्यालय के सभी न्यायालयों (वाह्य न्यायालयो को छोडकर) को दिनांक 03.07.2020 एवं 04.07.2020 को बन्द किया जाना आवश्यक होगा, जिससे सम्पूर्ण न्यायालय परिसर का सेनेटाईजेशन कराया जाना सम्भव हो सके।

2. अतः माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त पत्र संख्या 1117/LXXXVII–CPC/ e–Court/ Allahabad/ Dated: 03–06–2020 के द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों के प्रस्तर संख्या 15 के अनुपालन में जनपद न्यायालय ललितपुर के मुख्यालय स्थित सभी न्यायालयों को दिनांक 03.07.2020 एवं 04.07.2020 (दो कार्य दिवस) के लिये बन्द किया जाता है।

3. माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं उ०प्र० शासन के दिशा निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी अधिकारी नजारत ललितपुर को निर्देशित किया जाता है कि सम्पूर्ण न्यायालय परिसर तथा मुख्यालय स्थित प्रत्येक न्यायालय कक्ष एवं सभी कार्यालय को सेनेटाईज एवं साफ सफाई कराने हेतु जिलाधिकारी ललितपुर एवं मुख्य चिकित्साधिकारी ललितपुर को पत्र प्रेषित करना सुनिश्चित करें। दिनांक 03.07.2020 एवं 04.07.2020 को सेनेटाईजेशन कार्य परिसर में कराया जाना सुनिश्चित करें।

4. जो न्यायिक अधिकारीगण न्यायालय परिसर में प्रशिक्षण (ई–ट्रेनिंग) प्राप्त कर रहे है वे उक्त दोनो कार्य दिवस में अपने आवास से प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।

5. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ललितपुर को निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त कार्य दिवसों में रिमांण्ड कार्य अवकाश कार्य दिवस के भांति सम्पादित कराने हेतु व्यवस्था करना सुनिश्चित करें।

6. इस आदेश की प्रति अध्यक्ष / महामंत्री जिला बार एसोसियेशन ललितपुर को इस आश्य से प्रेषित की जाये कि वे तदानुसार समस्त विद्वान अधिवक्तागण को न्यायालय परिसर में न आने के लिये अवगत करायें जिससे कि समस्त अधिवक्ता चैम्बर को सेनेटाईज कराया जाना सम्भव हो सके।

7. सभी सम्बन्धित आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचित हो तथा इस आदेश की प्रति जिला सूचना अधिकारी को इस आशय से प्रेषित की जाये कि वे इस सूचना को लोकहित में सभी समाचार पत्रों में प्रकाशित कराना सुनिश्चित करें। इस आदेश की एक प्रति न्यायालय परिसर के नोटिस बोर्ड पर एवं एक प्रति न्यायालय परिसर के मुख्य द्वार पर चस्पा की जाये।

8. उक्त दो कार्य दिवसों (दिनांक 03.07.2020 एवं 04.07.2020) में नियत वादों की अग्रिम तिथियो की सूचना न्यायालय खुलने के प्रथम कार्य दिवस में प्रत्येक न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर सम्बन्धित न्यायालय द्वारा चस्पा किया जावे।

9. जिला बार एसोशियेशन ललितपुर के सदस्य श्री निर्मल कुमार जैन के सम्पर्क में जो भी कर्मचारी / न्यायिक अधिकारी / जिला बार के विद्वान अधिवक्तागण एवं अन्य कोई भी व्यक्ति आये हो, उक्त की सूचना अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में अविलम्ब देना सुनिश्चित करें एवं तदोपरान्त उसकी सूचना तत्काल सी.एम.ओ. / जिला प्रशासन को देना सुनिश्चित किया जावे।

10. इस आदेश की सूचना माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद को भी तदनुसार प्रेषित की जाये।

सर्व सम्बन्धित सूचित हो।

2/7/2020

(उमेश कुमार सिरोही)
प्र०जनपद न्यायाधीश,
ललितपुर।

<u>प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-</u>

1. महानिबंधक महोदय, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
2. जिलाधिकारी, ललितपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, ललितपुर।
4. मुख्य चिकित्साधिकारी, ललितपुर।
5. जेल अधीक्षक, जिला कारागार, ललितपुर।
6. अध्यक्ष जिला बार एसोसिएशन, ललितपुर।
7. जिला सूचनाधिकारी, ललितपुर को स्थानीय समाचार पत्रों में निशुल्क प्रकाशित कराने हेतु।
8. प्रभारी अधिकारी, नजारत, जनपद न्यायालय, ललितपुर।
9. सिस्टम ऑफिसर, जनपद न्यायालय, ललितपुर को जनपद न्यायालय ललितपुर की बेबसाईट पर अपलोड कराये जाने हेतु।

आज्ञानुसार जनपद न्यायाधीश,

2-7-20

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,
I/c जनपद न्यायालय, ललितपुर।